प्रपत्र 30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand **Office of the District Collector Dehradun**

No Dated - 17.03.2015 .

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.240 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Laksiyar(Sambarjain Road) To Muwani Chhani Ludra Motor Road(4.900 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Laksiyar village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.240 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

**(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; **

(c) The proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- **As above.**

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

(Ravi Nath Raman IAS)

जिलाधिकारी देहरादून

प्रपत्र 30.1

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand | **Office of the District Magistrate**

No | **Dated**

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 2.240 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD, Sahiya for the Construction of Village Laksiyar(Sambarjain Road) To Muwani Chhani Ludra Motor Road(4.900 Km) in Dehradun district falls within jurisdiction of Laksiyar village in Kalsi tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.240 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to V annexure 23.2, 23, 23.1

(b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Chichrad villages(s) is enclosed as annexure….. To annexure……

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl :- As above.

Signature Ravi Nath Raman I.A.S.

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी देहरादून

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ravi Nath Raman I.A.S District Magistrate, Dehradun on dated 17:03:2015 at time 2:10P.M...at Dehradun In which application claiming rights in measuring 2.240 Area hect for the construction of Village Laksiyar(Sambarjain Road) To Muwani Chhani Ludra MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;..Dehra Dun

Dated:..17.03.2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी देहरादून

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनमत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09 / 98–FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 17.3.15 मे जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। बैठक मे समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक मे निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जिला देहरादून उत्तराखण्ड विकास खण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (सबमरजैंस राड से) मुयानी छानी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.240 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा –6(1) के अनुसार लखस्यार मुवानी छानी ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक 27/2/15 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा –6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक 12.03.2015 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हित भु–भाग पर वन अधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नही है ।

बैठक मे जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त मे बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून सदस्य सचिव	प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता सदस्य (प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता (देहरादून))	जिलाधिकारी अध्यक्ष देहरादून (जिलाधिकारी देहरादून)

प्रपत्र 30.3

परियोजना का नाम :– मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या–789/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि0मी0 1 से 4.900 कि0मी0 तक।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कालसी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कालसी

उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग (0.000है0 आरक्षित वन भूमि, 1.918 हे0 सिविल एवं सोयम भूमि, 0.322 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.240 हे0 वन भूमि) का **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कालसी) की दिनांक 12.3.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री अशोक कुमार पाण्डे, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री अशोक कुमार पाण्डे उपजिलाधिकारी कालसी	अध्यक्ष	उप जिलाधिकारी कालसी
श्री जी0सी0 मार्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी कालसी चकराता वन प्रभाग चकराता	सदस्य	उप-प्रभागीय वनाधिकारी
श्री मिट्ठन लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालसी	सदस्य/सचिव	सहायक समाज कल्याण अधिकारी कालसी, देहरादून
श्रीमती [illegible] बी0डी0सी0	सदस्य	पानो देवी

पानो देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.240 हे0 वन भूमि **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अर्न्तगत ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.240 हे0 वन भूमि **लो0नि0वि0** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कालसी
जनपद– देहरादून

उप जिलाधिकारी
कालसी

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कालसी
जनपद– देहरादून

उप जिलाधिकारी
कालसी

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संखया–786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि0मी0 1 से 4.900 कि0मी0 तक।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम लखस्यार
तहसील कालसी, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **देहरादून** के अर्न्तगत **लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** है0 आरक्षित वन भूमि, **1.918** है0 सिविल एवं सोयम भूमि, **0.322** है0 वन पंचायत भूमि,) अर्थात कुल **2.240** है0 वन भूमि का **लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड/अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया विभाग** /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **लखस्यार** द्वारा दिनांक 12.02.2020को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **लखस्यार** एंव **धिरौई** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत लखस्यार
Priyanka
विकास खण्ड कालसी देहरादून

ग्राम सचिव
ग्राम पचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
विकास खण्ड ...

ग्राम प्रधान/सरपंच
लखस्यार

प्रपत्र 30.5

दिनांक 12.02.2020 को ग्राम सभा / ग्राम पंचायत लखस्यार की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – लखस्यार

क्रमांक	सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गुमान सिंह S/o स्व० भगवान	[signature]
2	सोबन सिंह S/o स्व० माधो सिंह	सोबनसिंह
3	महीपाल सिंह S/o भवान सिंह	[signature]
4	टीकम सिंह S/o स्व० मोहन सिंह	[signature]
5	शूरवीर सिंह S/o स्व० श्री- रूपराम सिंह	[signature]
6	वीरेन्द्र सिंह S/ स्व. परम सिंह	विरेन्द्र
7	सुन्दर सिंह S/o स्व० श्री मोल्टू सिंह	सुन्दर सिंह
8	रघुवीर सिंह S/o स्व श्री रतन सिंह	रघुवीर
9	कीर्ति सिंह S/ स्व " बहादुर सिंह	किरती सिंह
10		

प्रधान ग्राम पंचायत लखस्यार [stamp]

ग्राम प्रधान लखस्यार

प्रपत्र 30.5

दिनांक 12.02.2020 को ग्राम सभा/ग्राम पंचायत **लखस्यार** की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – धिरौई

कमांक	सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्यामदत्त नौटियाल S/o स्व० मायाराम	[signature]
2	मोहन लाल S/. स्व भगत राम	मोहनलाल
3	कान्तिराम S/O स्व कान्धुराम	कान्तिराम
4	ब्रह्मानन्द S/o श्री जोती राम	[signature]
5	तारादत्त S/. स्व बर्फियानन्द	तारादत्त
6	दीवानचन्द S/O स्व० रतनू	[signature]
7	राजेश नौटियाल S/. स्व सीताराम	राजेश नौटियाल
8	खुशीराम नौटियाल S/O सन्तराम नौटियाल	Kusa
9	नारायणदत्त पुत्र स्व० कली राम	[signature]
10		

प्रधान ग्राम पंचायत लखस्यार [stamp with signature]

ग्राम प्रधान_लखस्यार

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संखया–786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि0मी0 1 से 4.900 कि0मी0 तक।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम लौहारी
तहसील कालसी, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **देहरादून** के अर्न्तगत **लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **(शून्य** है0 आरक्षित वन भूमि, **1.918** है0 सिविल एवं सोयम भूमि, **0.322** है0 वन पंचायत भूमि,) अर्थात कुल **2.240** है0 वन भूमि का **लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड/अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया विभाग** /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **लौहारी** द्वारा दिनांक 12·02·2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **लोहारना** एंव **मुंन्शीगॉव** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत लोहारी
वि0ख0–कालसी, देहरादून

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
विकास खण्ड कालसी

ग्राम प्रधान/सरपंच
लौहारी

प्रपत्र 30.5

दिनांक 12.02.2020 को ग्राम सभा / ग्राम पंचायत **लौहारी** की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – लोहारना

कमांक	सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चतरसिंह तोमर पुत्र श्री रतनसिंह तोमर	चतरसिंह तोमर
2	खेम सिंह तोमर " " सीबदत्त तोमर	खेमसिंह
3	सुन्दरसिंह तोमर " धर्मसिंह तोमर	सुन्दरसिंह तोमर
4	चमन सिंह तोमर " मगरेरू सिंह	चमन सिंह
5	जितेन्द्र सिंह गुलाबसिंह	जितेन्द्र सिंह
6	केदार सिंह स्व० श्री ज्ञान सिंह	K Singh
7		
8		
9		
10		

प्रधान ग्राम पंचायत लोहारी
पंचायती राज
वि०ख०–कालसी, देहरादून
Seema

ग्राम प्रधान_लौहारी

प्रपत्र 30.5

दिनांक 12.02.2020 को ग्राम सभा / ग्राम पंचायत लौहारी की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – मुंन्शीगॉव

कमांक	सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दौलतसिंह S/o श्री कुंवरसिंह	[signature]
2	भीम सिंह S/o स्व॰ मोहर सिंह	भीम सिंह
3	पूरणसिंह S/o " बलीसिंह	पूरनसिंह
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

प्रधान ग्राम पंचायत लौहारी
पंचायती राज
वि०ख०–कालसी, देहरादून
Seema

ग्राम प्रधान_लौहारी

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संखया–786/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसी में ग्राम लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग का समरेखण प्रस्ताव कि0मी0 1 से 4.900 कि0मी0 तक।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्र्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम खाडी
तहसील कालसी, जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **देहरादून** के अन्तर्गत **लखस्यार (समरजेंस रोड़) से मुवानी छानी लुधेरा मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** है0 आरक्षित वन भूमि, **1.918** है0 सिविल एवं सोयम भूमि, **0.322** है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **2.240** है0 वन भूमि का **लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड / अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया विभाग** /संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **खाडी** द्वारा दिनांक 12·02·2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **सिंगौटा** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत...
विकास खण्ड कालसी

ग्राम प्रधान/सरपंच
खाडी

प्रधान ग्राम पंचायत खाड़ी
वि0ख0–कालसी देहरादून

प्रपत्र 30.5

दिनांक 12.02.2020 को ग्राम सभा / ग्राम पंचायत **खाडी** की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – सिंगौटा

कमांक	सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गोपलदास S/. स्व बन्रु	
2	ध्यारचन्द " " बन्रु	ध्यारचन्द
3	फागुणिया " " बन्रु	
4	अमरु " " नायक	अमरु
5	सुनील " " मन्तू	सुनील
6	फागुणिया " " सुप्या	फागुणिया
7	जगुदास " " केवलदास	
8	श्यामलाल " " गगीदास	श्यामलाल
9		
10		

प्रधान ग्राम पंचायत खाडी
रिंकी तोमर
वि0ख0 – ... देहरादून

ग्राम प्रधान_खाडी